राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3871/2022

सरस्वती वैष्णव **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर जोन, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोहनपुरा, सागानेर, जयपुर।
5. आशा चौधरी, अध्यापक ग्रेड–द्वितीय संस्कृत, वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहनपुरा, सागानेर जयपुर में कार्यरत।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 31.08.2022
आदेश की दिनांक : 07.10.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से :

समक्ष :– मातादीन शर्मा, सदस्य
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–द्वितीय संस्कृत के पद पर ,राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोहनपुरा, सागानेर, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.08.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माधोपुरा, कोटखावदा, जयपुर में किया गया है। तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर समंजित किया है, अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी को प्रारंभ में शिक्षक ग्रेड–द्वितीय के पद पर नियुक्त किया गया था अपीलार्थी को बाद में शिक्षक ग्रेड–द्वितीय के पद पर पदोन्नत किया गया, अपीलार्थी

के पति भी सरकारी कर्मचारी है तथा जयपुर में कार्यरत है लेकिन इस पहलू पर विचार किए बिना ही अपीलार्थी का स्थानान्तरण कर दिया। अपीलार्थी ने अपने स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कभी कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया। और अपीलार्थी के स्थान पर किसी को भी पदस्थापित नहीं किया गया। अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजनैतिक प्रभाव में आकर किया गया है, जो स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विपरीत है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 28.08.2022 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को निरंतर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोहनपुरा, सांगानेर, जयपुर में शिक्षक ग्रेड–द्वितीय संस्कृत, के पद पर कार्य करने दिया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी चार सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहॉ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय

से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य